

21/6/18

पत्रावली राजस्थान लोक अदालत में
 कोर्ट द्वारा पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली
 का प्रयोजन लोक अदालत में पत्रावली
 में किया गया। वकील सुभाष
 अग्रणीजिन को पत्रावली हेतु कोर्ट
 द्वारा दिने गत के बावजूद भी
 पत्रावली प्रेषित नहीं किया गया। वकील
 सुभाष अग्रणीजिन द्वारा मूल बावजूद
 प्रेषित अदम्य दायरी में खरिज हो चुका
 है। अतः अब इस प्रसंग पर 21/2/2018
 को यह गत है। अतः कोर्ट द्वारा
 21/2/2018 खरिज किया गया है।
 पत्रावली प्रेषित हुआ है। (दस्तावेज)

—
 NAD/18 ललीयावाल

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक कण्डनायक
 साँभर लेक (जयपुर)